कार्यालयः– जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चूरू (राज.)

कमांक : 1(जी)(1)स्था./2025/179 दिनांक : 25.09.2025

कार्यालय आदेश

चूरू न्याय क्षेत्र में राजकीय अवकाशों के दौरान बेल, रिमाण्ड एवं अन्य आवश्यक कार्यों हेतु माह अक्टूबर, 2025 के लिये निम्न प्रकार से ड्यूटी लगाई जाती हैः–

–: माह अक्टूबर, 2025 :–

क.सं.	नाम अधिकारी	पद नाम अधिकारी	मोबाईल नम्बर	ड्यूटी दिनांक
1.	सुश्री शिवानी	अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरू	8168319771	01.10.2025, 02.10.2025 एवं 05.10.2025
2.	श्री मयंक मीणा	न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ़	8233403768	10.10.2025, 11.10.2025 एवं 12.10.2025
3.	श्री हरीश कुमार	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरू	9461007100	18.10.2025 एवं 19.10.2025
4.	श्री विकास गजराज	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुजानगढ़	8233889051	20.10.2025 एवं 21.10.2025
5.	श्री अरूण जांगिड़	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रतनगढ़	8385025257	22.10.2025 एवं 23.10. 2025
6.	श्रीमती सरिता कायथ	न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीदासर	82091–69064	25.10.2025 एवं 26.10.2025

1. इन राजपत्रित अवकाशों के अलावा अन्य कोई राजकीय अवकाश घोषित हो जाने पर घोषित अवकाश के दिवस को बेल, रिमाण्ड एवं अन्य आवश्यक कार्यों के लिए समस्त चूरू न्यायक्षेत्र के लिए **श्री नवदीप, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरदारशहर** (मोबाईल नंबर **8239114104**) की ड्यूटी लगायी जाती है।
2. यदि संबंधित मजिस्ट्रेट अथवा संबंधित लिंक मजिस्ट्रेट उपलब्ध हों तो उनसे भी बेल, रिमाण्ड एवं अन्य आवश्यक कार्यों के लिए आदेश प्राप्त किया जा सकता है।
3. उपरोक्त आदेश में सामान्य तौर पर परिवर्तन नहीं किया जायेगा परंतु अत्यावश्यक कार्य होने पर संबंधित अधिकारी को अन्य न्यायिक अधिकारी से सहमति प्राप्त करके प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में रिमांड ड्यूटी का परिवर्तन करने पर विचार किया जायेगा।
4. इस आदेश को पूर्व कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात से आगामी कार्य दिवस के कार्यालय समय पूर्व तक प्रभावी माना जायेगा।

Sd–
प्रभारी अधिकारी (संस्थापन)
कार्यालय–जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
चूरू (राज.)

कमांक : स्था./2025/8193 दिनांक : 25.09.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–
1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरू।
2. पुलिस अधीक्षक, चूरू को समस्त थानाधिकारियों को सूचित करने हेतु।
3. जिला आबकारी अधिकारी, चूरू को समस्त आबकारी वृतों को सूचित करने हेतु।
4. संबंधित न्यायिक अधिकारीगण को जरिये ई–मेल।
5. सिस्टम ऑफिसर, अ.हाजा को न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

प्रभारी अधिकारी (संस्थापन)
कार्यालय–जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
चूरू (राज.)